

कार्यालय- सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)।

निविदा प्रपत्र

प्रथम भाग-तकनीकी सूचनाएं-

तकनीकी सूचनाएं मुहरबन्द लिफाफे में रखी जाय। इस लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में प्रथम भाग-तकनीकी सूचनाएं लिखा जाय। इसी लिफाफे में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट भी रखा जाय।

1. निविदादाता/ट्रांसपोर्टर का नाम.....

2. फर्म का नाम तथा पता

3. पत्र व्यवहार का पता

दूरभाष नं0.....मोबाइल नं0.....ई-मेल-

4. PAN नम्बर (छाया प्रति संलग्न करें).....

5. फर्म का GST पंजीकरण संख्या प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें

6. ट्रांसपोर्ट फर्म की पंजीकरण की संख्या, वर्ष (पंजीकरण का क्षेत्र)

(परिवहन विभाग द्वारा जारी पंजीकरण पत्र 0की प्रमाणित छाया प्रति तथा वाहन के फिटनेस प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)

7. अर्नेष्टमनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट नं0.....धनराशि दिनांक

(मूल रूप में संलग्न करें जो भारतीय स्टेट बैंक रामनगर शाखा कोड 00701 जनपद नैनीताल में देय होगा)

8. निविदा प्रपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्टधनराशि दिनांक.....

9. ट्रांसपोर्ट/फर्म के स्वामित्व में स्वयं के वाहन एवं अन्य वाहनों की व्यवस्था का विवरण

10. विगत वर्ष का आयकर जमा सम्बन्धी विवरण

11. अन्य विवरण-

मैंमैसर्स

ट्रांसपोर्ट का मालिक/.....प्रतिशत साझेदार/हिस्सेदार हूँ। इस निविदा की समस्त कार्यवाही को पूर्ण करने तथा समस्त औपचारिकता के प्रति मेरा पूरा उत्तरदायित्व है। उपरोक्त समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं। इससे सम्बन्धित कोई भी सूचनाएं छिपायी नहीं गयी है। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो उसके लिये स्वयं/हमारी फर्म उत्तरदायी रहेगी।

दिनांक.....

फर्म का नाम-

निविदादाता के हस्ताक्षर-

नाम-

पिता का नाम-

व्यापार पंजीकरण संख्या-

मोबाइल नं0-

निविदादाता की
फोटो स्वयं
प्रमाणित

कार्यालय: सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)
द्वितीय भाग-वित्तीय सूचनाएं (A)

1. फर्म का नाम-
2. फर्म की दरें-

क्र० सं०	विवरण	दरें (अंकों एवं शब्दों में)	G.S.T. दरें/ धनराशि	कुल धनराशि (दरें+G.S.T)
1	20 कुन्तल तक का सामान ढुलान का किराया गढ़वाल मण्डल (समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक)			
2	20 कुन्तल तक का सामान ढुलान का किराया कुमायूँ मण्डल (समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक)			
3	20 कुन्तल तक का सामान ढुलान का प्रति कि०मी० की दर से किराया			
4	40 कुन्तल तक का सामान ढुलान का किराया गढ़वाल मण्डल (समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक)			
5	40 कुन्तल तक का सामान ढुलान का किराया कुमायूँ मण्डल (समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक)			
6	40 कुन्तल तक का सामान ढुलान का प्रति कि०मी० की दर से किराया			
7	60 कुन्तल तक का सामान ढुलान का किराया गढ़वाल मण्डल (समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक)			
8	60 कुन्तल तक का सामान ढुलान का किराया कुमायूँ मण्डल (समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक)			
9	60 कुन्तल तक का सामान ढुलान का प्रति कि०मी० की दर से किराया			
10	80 कुन्तल तक का सामान ढुलान का किराया गढ़वाल मण्डल (समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक)			
11	80 कुन्तल तक का सामान ढुलान का किराया कुमायूँ मण्डल (समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक)			
12	80 कुन्तल तक का सामान ढुलान का प्रति कि०मी० की दर से किराया			
योग				

कार्यालय: सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)
द्वितीय भाग-वित्तीय सूचनाएं (B)

1. फर्म का नाम-

2. फर्म की दरें-

यात्री कार हेतु दरें-(दरें ई-निविदा में नहीं दी गयी है।) निम्न प्रारूप अंकित की जायेगी।

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	दरें (डीजल सहित प्रति किमी०)	G.S.T. दरें/ धनराशि	कुल धनराशि (दर+G.S.T)	दरें (डीजल सहित रात्रि विश्राम सम्मिलित करते हुए)	G.S.T.	कुल धनराशि (दर+G.S.T)
1	आर्टिगा	AC					
		Non AC					
2	स्विफ्ट डिजायर	AC					
		Non AC					
3	बेलरो	AC					
		Non AC					
योग							

नोट :-1-किराये की समस्त (ट्रक में सामग्री लाने एवं ले जाने) दरें जी०एस०टी० सहित, टॉल टैक्स, माल चढ़ाने एवं उतारने इत्यादि को सम्मिलित करते हुए निविदा में अंकित की गयी हैं।

2-जीपगाड़ी वाहन अधिग्रहण हेतु दरें ई-निविदा में नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में दरें उक्त प्रारूप पर अंकित की जायेगी। दरें जीएसटी सहित, टॉल टैक्स इत्यादि को सम्मिलित करते हुए निविदा में अंकित की जाय।

दिनांक

फर्म/ट्रांसपोर्टर का नाम-

निविदादाता के हस्ताक्षर

पता

मोबाईल नम्बर

निर्देश—

तकनीकी एवं वित्तीय भाग को अलग-अलग शील्ड बन्द लिफाफों में रखकर तदुपरान्त दोनों लिफाफों को एक बड़े मुहरबन्द लिफाफे में रखकर लिफाफे के ऊपरी भाग में ट्रक/मिनी ट्रक तथा यात्री कार की निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय सूचनाएँ) लिखा जाय। साथ में फर्म/ठेकेदार का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर भी अंकित किया जाय। तकनीकी भाग के साथ अर्नष्टमनी के रूप में रुपया 30,000=00(रुपया तीस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना होगा जो सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल के पदनाम से रामनगर शाखा में देय होगा। बेवसाइट पर निविदा दिनांक 22.05.2026 के अपराह्न 5.00 बजे तक अपलोड की जा सकती है।

निविदा के तकनीकी/वित्तीय भाग की हॉर्ड कॉपी के लिफाफे दिनांक 23.05.2026 को पूर्वाह्न 10.30 बजे तक सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) के कार्यालय में पंजीकृत डाक अथवा स्वयं आकर जमा कराने होंगे। दिनांक 23.05.2026 के पूर्वाह्न 10.30 बजे के बाद प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जायेंगी।

प्राप्त निविदाओं के प्रथम भाग (तकनीकी सूचनाओं) के लिफाफे 23.05.2026 के पूर्वाह्न में 10.45 बजे खोले जायेंगे। फर्मों से प्राप्त तकनीकी सूचनाओं की जांच के उपरान्त उपयुक्त पाई गई फर्मों के ही द्वितीय भाग (वित्तीय सूचनाएँ) खोले जायेंगे। अनुपयुक्त पाई गई फर्मों के वित्तीय भाग नहीं खोले जायेंगे। सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) के पास प्राप्त निविदाओं में से बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

नियम व शर्तें —

- 1- ट्रक/मिनी ट्रक एवं यात्री कार हेतु किराये की दरें परिषद् कार्यालय, रामनगर (नैनीताल) से जनपद मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी सामग्री लाने एवं ले जाने एवं प्रदेश/प्रदेश से वाहर की यात्रा हेतु माँगी जा रही हैं।
- 2- ट्रक/मिनी ट्रक एवं यात्री कार के सभी पत्राजात पूर्ण एवं निविदा अवधि तक वैध हों। चालक/परिचालक का लाईसेंस वैध हो।
- 3- सामग्री लाने/ले जाने के लिये प्राथमिकता के आधार पर बन्द ट्रक ही उपयोग में लाये जायेंगे। विशेष परिस्थिति में बन्द ट्रक न होने की दशा में खुले ट्रकों के ऊपर हवा, पानी के बचाव के लिए तिरपाल सही हालत में अवश्य हो।
- 4- यात्रा/सामग्री लाने व ले जाने हेतु 02 घण्टा पूर्व दूरभाष द्वारा सूचना देने पर ट्रक/मिनी ट्रक तथा यात्री कार तत्काल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 5- यात्रा के दौरान वाहनों में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आने की दशा में उसके मरम्मत का सम्पूर्ण दायित्व फर्म स्वामी का होगा तथा फर्म को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तत्काल वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
- 6- सफल निविदादाता द्वारा अपना चलित मोबाइल नम्बर ही परिषद् को उपलब्ध कराना होगा, ताकि समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर दूरभाष द्वारा उन्हें सूचित किया जा सके।
- 7- मार्ग के सभी प्रकार के टैक्स/कर आदि का भुगतान भी सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर/फर्म को स्वयं वहन करना होगा।
- 8- माल चढ़ाने एवं उतारने की मजदूरी व्यय स्वयं ट्रांसपोर्टर को वहन करना होगा।
- 9- निविदा में प्रस्तावित दरें किसी भी जनपद में मु0शि0अ0 कार्यालय तक पहुँचने की निकटतम दूरी की होनी चाहिए।
- 10- किसी भी विवाद के लिए न्यायालय क्षेत्र, रामनगर (नैनीताल) होगा।
- 11- निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी।
- 12- सफल निविदादाता को नियमानुसार जमानत धनराशि रू0 35,000=00 का एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/बैंक गारंटी जो निविदा अवधि पूर्ण होने के 60 दिन बाद तक के लिए वैध हो सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) के पदनाम देय हो, निरूपित कर जमा करना होगा। ट्रांसपोर्टर द्वारा बीच में कार्य रोके जाने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 13- कार्य पूर्ण होने पर बजट की उपलब्धता के अनुसार देयकों का भुगतान किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु किसी प्रकार की अग्रिम धनराशि देय नहीं होगी।
- 14- निविदा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2025 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। अपूर्ण एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं होंगी। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी दूरभाष नं0 05947-254275 से प्राप्त कर सकते हैं।
- 15- स्वीकृत आदेश के एक सप्ताह के भीतर सफल निविदादाता को रुपये 100=00 (एक सौ रुपया) मात्र का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित इकरारनामा (अनुबन्ध पत्र) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 16- आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान की जाने वाली धनराशि में से नियमानुसार आयकर/TDS की कटौती की जायेगी तथा फर्म को भुगतान के सापेक्ष प्राप्त जी0एस0टी0 की धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जमा करते हुए परिषद् कार्यालय को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध करायेगा।
- 17- सचिव परिषद् को बिना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 18- कार्य में लापरवाही बरतने पर अधोहस्ताक्षरी को भुगतान में कटौती करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 19- ट्रांसपोर्ट/फर्म के स्वामित्व में स्वयं के वाहन एवं अन्य वाहनों की व्यवस्था का विवरण। फर्म के पास स्वयं का वैध अभिलेखों सहित वाहन होना अनिवार्य होगा।
- 20- विगत वर्ष का आयकर जमा सम्बन्धी विवरण जमा करना अनिवार्य होगा।
- 21- निविदा वर्ष 2026-27 हेतु आमंत्रित की जा रही है, जो दिनांक 31 मार्च, 2027 तक वैध रहेगी तथा 31 मार्च 2027 तक नया टेंडर ना होने की दशा में इसे नये टेंडर होने तक इन्ही स्वीकृत दरों पर फर्म को कार्य करना होगा।
- 22- निविदादाता से फर्म की सहमति से इसे स्वीकृत दरों पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर—

नाम—

दिनांक—


सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)